

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 111 / 2019

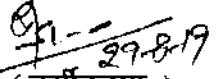
दिनांक 29.08.2019

श्रीमती प्रीति सिंह (RJ0994), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, धौलपुर को दिनांक 02.09.2019 से 28.02.2020 तक 180 दिनों का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) दिनांक 01.09.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री नीरज कुमार मितल (RJ0860), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर को श्रीमती प्रीति सिंह के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, धौलपुर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्द्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
- (2) श्री नीरज कुमार मितल (RJ0860), जिनको अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, धौलपुर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से

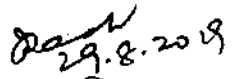

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.2(4)/185/2015/ 8077

दिनांक 29.08.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 3735 दिनांक 21.08.2019 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती प्रीति सिंह (RJ0994), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, धौलपुर।
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, धौलपुर।
5. श्री नीरज कुमार मितल (RJ0860), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक / स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार